

क्रमांक एफ.8(349)डीओआईटी/सामान्य/19/ ०१७०७/२०२०

जयपुर, दिनांक: १३.०३.२०२०

### कार्यालय आदेश

राज्य में कोरोना वायरस COVID-19 का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है उक्त बढ़ते हुए प्रकोप की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: पीएस/एसीएस/एमएण्डएच/2020/62 दिनांक 06.03.2020 के अनुसरण में निर्देशानुसार अग्रिम आदेशों तक विभाग के समस्त कार्मिकों को बॉयोमेट्रिक मशीन का उपयोग नहीं करने हेतु निर्देशित किया जाता है, क्योंकि यह कोरोना वायरस COVID-19 के प्रसार का कारक हो सकता है।

साथ ही कार्यालय में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट (1% Hypochlorite) के द्वारा दरवाजों/कुर्सियों/अलमारियों के हत्थों, भेज, सीढ़ियों की रैलिंग, फर्श एवं अन्य संभावित मुख्य स्पर्श में आने वाली वस्तुओं/उपकरणों आदि पर दैनिक रूप से पॉछा (Mopping) लगवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(बी.एस. नायावत)  
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त  
सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक(तकनीकी), राजकॉम्प्य इन्फो सर्विसेज लिंग, जयपुर।
- प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- श्री ओमप्रकाश कुमावत, प्रोग्रामर, को निर्देशित किया जाता है कि एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट (1% Hypochlorite) के द्वारा कार्यालय में दैनिक रूप से पॉछा (Mopping) लगवाने की व्यवस्था करावें।
- समस्त अधिकारी/कर्मचारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

  
प्रभारी अधिकारी, संस्थापन